प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं..........254/2022 दिनांक 26/6/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा **7,**

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा........

(3) अधिनियम.............................. धारायें..................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........484.....समय.........5:40PM,

(ब) अपराध के घटने का दिनः **शुक्रवार, दिनांक 24/06/2022, समय 07.13 पी.एम.**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – **23/06/2022, समय 2.15 पी.एम.**

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक **लिखित**

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः **दक्षिण–पश्चिम, दूरी करीब 65 किमी., ए.सी.बी.,चौकी अलवर सें**

(ब) पताः– **बिसूणी मोड, पुलिस थाना थानागाजी, जिला अलवर**

बीट संख्या .... जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– **श्री हरसहाय** (ब) पिता का नाम :– **श्री सेदूराम उर्फ सेडयाराम**

(स) जन्म तिथि :– उम्र साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः– खेती–बाडी

(ल)पताः– **निवासी ग्राम ढहलावास, पुलिस थाना–सदर अलवर, जिला अलवर।**

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री प्रकाश चन्द मीणा पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम अंगारी, तहसील एवं पुलिस थाना – थानागाजी, जिला अलवर हाल पटवारी, हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज.)।

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 50,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 23–06–2022 को समय 02.15 पी.एम. पर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का परिचय श्री हरसहाय पुत्र श्री सेड्याराम उर्फ सेडूराम, निवासी ढहलावास, तहसील व जिला अलवर परिवादी के रूप में तथा दुसरे व्यक्ति का परिचय श्री पन्ना लाल पुत्र श्री सेड्याराम उर्फ सेडूराम, निवासी ढहलावास, तहसील व जिला अलवर परिवादी के बडे भाई के रूप में करवाते हुये परिवादी श्री हरसहाय द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री हरसहाय व परिवादी के भाई श्री पन्ना लाल को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री हरसहाय पुत्र श्री सेड्याराम उर्फ सेडूराम, निवासी ढहलावास, तहसील व जिला अलवर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया था कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर । विषयः– पटवार हल्का किशोरी के रिश्वतखोर पटवारी श्री प्रकाश चन्द को रंगे हाथों पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं हरसहाय पुत्र श्री सेड्याराम कुम्हार, ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैंने व मेरे भाईयों ने ग्राम किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर में वर्ष 2021 में करीब 22 बीघा 3 बिस्वा जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन का हमारे नाम से रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज हो गया है और यह हमारी खातेदारी जमीन है। हमारी इस जमीन में से कुछ जमीन को मौके पर हमारे पडौसी खातेदारों ने दबा रखी है। दिनांक 14.06.2022 को मैं व मेरा भाई पन्ना लाल हमारी उक्त जमीन की पैमाईश करवाने के लिये पटवार हल्का किशोरी के पटवारी श्री प्रकाश चन्द के पास गये तो श्री प्रकाश चन्द पटवारी ने हमारी जमीन की पैमाईश करने के लिये तहसीलदार थानागाजी के नाम से एक एप्लीकेशन हमारी जमीन का विवरण भरकर हमारे सभी भाईयों के हस्ताक्षर करवाने के लिये हमें दिया, जिस पर मैंने मेरे सभी भाईयों के हस्ताक्षर करवाकर पैमाईश की एप्लीकेशन दिनांक 14.06.2022 को ही श्री प्रकाश चन्द पटवारी को ही दिया तो प्रकाश चन्द पटवारी ने मेरे से व मेरे भाई से

पन्ना लाल से 11000 रू0 तो पैमाईश की फिस के व 8000 रू0 कागजों की फिस के ले लिये और हमें कहा कि मेरे आपको पैमाईश करवानी है तो 65000 रू0 मुझे खर्चा–पानी के देने पडेगें, नही तो मैं बिना खर्चा–पानी के आपकी पैमाईस नही करूगां। प्रकाश चन्द पटवारी ने हमारी जमीन की पैमाईश नही की तो मैं व मेरा भाई पन्ना लाल हल्का पटवारी श्री प्रकाश चन्द से दिनांक 19.06.2022 को मिले, तो उसने कहा कि मैंने तहसीलदार से पैमाईश आदेश करवा लिये है तथा आप मुझे रिश्वत के 65000 रू0 नही दोगे तब तक मैं आपकी पैमाईश नही करूंगा। पटवारी प्रकाश चन्द बिना रिश्वत लिये हमारी जमीन की पैमाईश नही कर रहा है और हमारे से 65000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। हम रिश्वतखोरी पटवारी श्री प्रकाश चन्द, पटवार हल्का किशोरी को हमारी जमीन की पैमाईश करने की एवज में रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसको रिश्वत लेते हुये ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। कृपया काननी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 23.06.2022 प्रार्थी हरसहाय पुत्र श्री सेड्याराम उर्फ सेडूराम जाति कुम्हार, निवासी ढहलावास, तहसील व जिला अलवर। " परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री हरसहाय ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने व मेरे भाईयों ने वर्ष 2021 में ग्राम किशोरी, तहसील थानागाजी में खातेदारी की 22 बीघा 3 बिस्वा जमीन शामलाती खरीदी थी, जिसको मेरा बडा भाई पन्ना लाल समालता है। हमारी उक्त जमीन में से कुछ जमीन पर हमारे पडौसी खातेदार कब्जा कर रखे है। हमारी उक्त जमीन की पैमाईश करवाने के लिये मैं व मेरा बडा भाई पन्ना लाल दिनांक 14.06.2022 को पटवार हल्का किशोरी के पटवारी श्री प्रकाश चन्द से मिले तो उसने हमारी जमीन की पैमाईश करने लिये हमारे से प्रार्थना पत्र ले लिया और पैमाईश की सरकारी फिस के 11000 व कागजों की फिस के 8000 रू0 हमारे से ले लिया और उक्त राशि की हमें कोई रसीद भी नही दिया तथा उक्त राशि के अलावा हमारे से हमारी जमीन की पैमाईश करने की एवज में रिश्वत के रूप में 65000 रू0 खर्चे–पानी की मांग की। हमने पटवारी प्रकाश चन्द को 65000 रू0 रिश्वत के नही दिये तो उसने हमारी जमीन की पैमाईश नही की। इसके बाद मैं व मेरा भाई पन्ना लाल दिनांक 19.06.2022 को श्री प्रकाश चन्द पटवारी से दुबारा मिले तो उसने कहा कि तहसीलदार से आपकी जमीन की पैमाईश के आदेश हो गये है। श्री प्रकाश चन्द पटवारी पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, हमारी जमीन की पैमाईश करने की एवंज में हमारे से 65000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रिश्वत नही देने पर हमारी जमीन की पैमाईश नही करने की कह रहा है। हम हमारे जायज काम के लिए श्री प्रकाश चन्द पटवारी, पटवार हल्का किशोरी को रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसे रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी व मेरे भाई पन्ना लाल की श्री प्रकाश चन्द, पटवारी, पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री हरसहाय ने यह भी बताया कि वह कम पढा–लिखा है तथा ठीक से लिख नही पाता है, लिखे हुये को ठीक से पढना जानता है। इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं ने बोल–बोल कर एक कम्प्यूटर वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा उक्त जमीन की पैमाईश हेतु श्री प्रकाश चन्द पटवारी से पूर्व में उसके बडे भाई पन्ना लाल को भी उसके साथ मिलना पटवारी द्वारा ज्यादातर रिश्वत की बाते पन्ना लाल से ही करना बताया इसलिए उक्त कार्यवाही में अपने बडे भाई पन्ना लाल को भी साथ रहने के लिये बताया। तत्पश्चात परिवादी के साथ आये उसके बडे भाई पन्ना लाल ने दरियाफ्त पर उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र श्री हरसहाय द्वारा कम्प्यूटर से टाईप करवाकर लाना बताया तथा परिवादी के साथ उपस्थित श्री पन्ना लाल से कार्यवाही में परिवादी के साथ रहने की सहमती प्राप्त कर परिवादी श्री हरसहाय द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर श्री पन्ना लाल के भी हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। दिनांक 23–06–2022 को ही परिवादीगण को संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी के पास रिश्वत की माँग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु भिजवाया गया। दिनांक 23.06.2022 को समय 08.00 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन होने तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि कल शाम तक देने के लिये कहा है। परिवादीगण के पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 60 हजार रू0 की अभी व्यवस्था नही है इसलिए परिवादीगण को रिश्वती राशि की व्यवस्था करनी है तथा परिवादीगण अभी अलवर नही आ सकते है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 को निर्देश दिये कि वह रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने कब्जे में सुरक्षित रखे तथा परिवादीगण के पास रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर कल दिनांक 24.06.2022 को परिवादीगण को अविलम्ब हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से समय 08.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने सचिव नगर विकास न्यास अलवर को इस कार्यालय द्वारा पूर्व से पाबन्दशुदा राज कर्मचारी स्वतन्त्र गवाह श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री मधुर शर्मा, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास अलवर को ब्यूरों की गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 24.06.2022 को प्रातः 09.30 ए0एम0 ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया।

तत्पश्चात दिनांक 24–6–2022 को समय 9.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम अलवर पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन के कानि. महेश कुमार नं. 462 सहित परिवादीगण उपस्थित आये। सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालाप से संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश चन्द, पटवारी, हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री हरसहाय वगैरा की ग्राम किशोरी मे स्थित क्रयशुद्धा खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान (पैमाईश) करने की एवज मे परिवादीगण श्री हरसहाय व पन्नालाल से 60 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ। तलबशुदा गवाहान श्री दिलीप कुमार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, एवं श्री मधुर शर्मा कनिष्ठ सहायक, विधि शाखा, नगर विकास न्यास अलवर के उपस्थित कार्यालय हाजीर आने पर रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क "ए–1", "ए–2", एवं "ए–3" से चिन्हित की गई। जिनमे से मार्क शुदा सीडी "ए–1", "ए–2", को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का "ए–1", "ए–2", अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी ए–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड वार्तालाप मे परिवादीगण श्री हरसहाय एवं पन्ना लाल ने अपनी स्वंय एवं संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी की आवाज होने एवं उक्त वार्तालाप अपने स्वंय के द्वारा ब्यूरो के वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके लाने की ताईद की।

तत्पश्चात दिनांक 24–6–2022 को समय 2.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हरसहाय को संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री हरसहाय ने अपने पास से 500–500 रूपये के 120 नोटों कुल 60 हजार रूपये अपने पास से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 60,000 रूपये के नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि. 201 से उपरोक्तानुसार क्रम सं. 1 से 100 तक के नम्बरी नोटो की एक गड्डी तथा 101 से 120 तक के नोटो को एक साथ करके उन पर रबर लगवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री हरसहाय के शरीर पर पहने हुए कपडो की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मधुर शर्मा से लिवाई गई तो उसके पहने हुए कपडो मे उसके मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु / राशि या दस्तावेजात नही पाये गये। परिवादी का मोबाईल फोन उसके पास ही छोडा गया। तत्पश्चात उपरोक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे उक्त सभी नोटो को श्रीमती सुनिता महिला कानि. 201 से परिवादी श्री हरसहाय के शरीर पर पहने हुए कमीज की दांहिनी बगल की जेब मे रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे उक्त पाऊडर लगे नोटो को देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद संदिग्ध आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/ कॉल करके यथा संभव निर्धारित इशारा करे। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करवाकर कर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

तत्पश्चात दिनांक 24.06.2022 को समय 3.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिलीप कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मधुर शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, राजवीर कानि0 443, श्री हरीश चन्द कानि0 503 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरों मय चालक के एवं परिवादी श्री हरसहाय व श्री पन्ना लाल एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब किशोरी, तहसील थानागाजी के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमति सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 05.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा किशोरी बस स्टेण्ड पर पहुंचा, जहॉ पर तीनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर परिवादी श्री हरसहाय को संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी के मिलने के स्थान के बारे में पूछने के लिये कहा, तो परिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल किया तो आरोपी ने परिवादी का कॉल नही उठाया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपनी–अपनी

उपस्थिति छिपाते हुये बस स्टेण्ड किशोरी पर आरोपी के कहेनुसार परिवादी के पास आरोपी पटवारी का फोन आने के इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 06.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री हरसहाय ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल नं0 9024669472 पर श्री प्रकाश चन्द पटवारी के मोबाईल नं0 8503062692 से फोन आया है और आरोपी पटवारी प्रकाश चन्द ने मुझे रिश्वत की राशि लेकर ग्राम डेरा की पुलिया पर बुलाया है और वह वहां पर मेरा इन्तजार कर रहा है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने समय 06.48 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. से परिवादी के पास रखे हुये टेपरिकार्डर को चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी, पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के पास उसके द्वारा बताये स्थान ग्राम डेरा की पुलिया पर जाने के लिये परिवादी व परिवादी के भाई को मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के दोनों वाहनों से परिवादीगण पर निगरानी रखते हुये उनके पीछे –पीछे अपनी पहचान छुपाते हुये रवाना हुआ। समय करीब 07.03 पी.एम. पर परिवादीगण ने ग्राम डेरा की पुलिया पर मोटर साईकिल के साथ खडे एक व्यक्ति के पास जाकर अपनी मोटर साईकिल रोकी और उस व्यक्ति ने परिवादी के भाई पन्ना लाल को परिवादी की मोटर साईकिल से उतार कर अपनी मोटर साईकिल पर बैठा लिया और वहा से तीनों पुलिया के पास से डुमेडा की तरफ जाने वाले रोड पर मोटर साईकिलों से रवाना हो गये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहियान के परिवादीगण व उक्त व्यक्ति पर निगरानी रखता हुआ उनके पीछे–पीछे रवाना हो गया। समय करीब 07.05 पी.एम. पर परिवादीगण व उक्त व्यक्ति डुमेडा रोड पर बिसूणी मौड के पास पहुंच कर दोनों मोटर साईकिलों को रोड पर एक साईड खडी कर वहॉ पर बैठ गये और आपस में बाते करने लग गये। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के वाहनों में बैठे हुये ही मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

दिनांक 23.04.2022 को समय 07.13 पी.एम. पर मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री हरसहाय ने बिसुणी मोड से मन पुलिस निरीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का नियत ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय ए0सी0बी0 जाब्ता के परिवादी के पास पहुँचा जहाँ परिवादी से उसे सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने अपने पास मोटर साईकिल पर बैठे हुए एक व्यक्ति जिसने अपनी पीठ पर नीले रंग का बैग लगाये हुये था, की तरफ ईशारा कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि यही प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी है जिन्होने अभी अभी मेरे से 60,000/–रूपये रिश्वत के अपने हाथो से प्राप्त कर नोटो को बिना गिने ही अपने बैग की जेब मे रख लिये तब मैने पटवारी जी से कहा कि साहब पूरे 60 हजार ही लोगे क्या। इस पर पटवारी जी ने उक्त 60 हजार रूपये मे से 10 हजार मुझे वापस दे दिये, जो अभी मेरे पास जेब मे रखे हुए है तथा शेष 50 हजार रूपये रिश्वत के श्री प्रकाश चन्द पटवारी के बैग की जेब मे रखे हुए है। इस पर उक्त व्यक्ति मन पुलिस निरीक्षक व हमराहियान को देखकर अपनी मोटर साईकिल स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा तो मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहियान जाप्ता की मदद से रोक कर उक्त का दाहिना हाथ श्री महेश कुमार कानि. 462 से एवं बांया हाथ श्री राजवीर कानि. से कलाई के ऊपर से पकडवाया गया तथा उसको अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम प्रकाश चन्द मीणा पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम अंगारी, तहसील एवं पुलिस थाना– थानागाजी, जिला अलवर हाल पटवारी, हल्का किशोरी, तहसील थानागजी, जिला अलवर होना बताया। श्री प्रकाश चन्द पटवारी को परिवादी से ली गई रिश्वत के बारे मे पूछा गया तो प्रकाश चन्द पटवारी ने बताया कि इस हरसहाय व पन्ना लाल कुम्हार ने अभी मुझे कुछ रूपये दिये है जिनको मैने बिना गिने ही अपने बैग जो पीठ पर लगा हुआ है, की जेब मे रख लिये, जो अभी उक्त बैग की जेब मे ही रखे हुए है। मौका सुनसान स्थान पर होने एवं मौके पर कार्यवाही हेतु कोई उपयुक्त स्थल उपलब्ध नही है। इसलिए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकाश चन्द पटवारी को यथा स्थिति में हाथ पकडाये हुये ही हमराही प्राईवेट वाहन में बैठाया गया तथा दोनों गवाहान को भी उक्त वाहन में बैठाया गया व उक्त वाहन को मन पुलिस निरीक्षक चलाकर तथा साथ ही अन्य एसीबी स्टाफ को राजकीय वाहन से व दोनो परिवादीगण को उनकी स्वंय की मोटरसाईकिल से तथा आरोपी की मोटर साईकिल को श्री भौंरे लाल हैड कानि. के साथ लेकर मौके से रवाना होकर समय 7.50 पी.एम. पर पुलिस थाना थानागाजी पहुँचा। जहाँ थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में श्री प्रकाश चन्द पटवारी को उक्तानुसार ही हाथ पकडाये हुये ही एक कुर्सी पर बैठाया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादीगण को भी उक्त कक्ष में बैठाया गया। आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी से परिवादी श्री हरसहाय एवं उसके भाईयो के नाम से ग्राम किशोरी मे स्थित क्रयशुदा खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश/सीमाज्ञान करने की एवज मे परिवादीगण से दिनांक 23–06–2022 को मांगी गई रिश्वत राशि 60,000/–रूपये एवं अपनी उक्त मॉग के क्रम में आज दिनाक 24–6–2022 को परिवादीगण से प्राप्त की गई 50,000/–रूपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी ने बताया कि श्री हरसहाय पुत्र सेडया राम एवं उसके भाईयो द्वारा ग्राम किशोरी मे करीबन 22 बीघा कृषि भूमि क्रय की हुई है। जिसका सीमाज्ञान करवाने के लिये इनके द्वारा दिनांक 14–06–2022 को तहसीलदार थानागाजी के नाम से आवेदन किया था, जो आवेदन मेरे द्वारा अपने हस्तलेख मे ही भरा

था। इनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके मुझे देने पर मेरे द्वारा इनके सीमाज्ञान आवेदन को दिनांक 14–6–2022 को ही श्री रामसिंह नायब तहसीलदार थानागाजी से मार्क करवाकर उसी दिनांक 14–6–2022 को सीमाज्ञान के आदेश मेरे द्वारा प्राप्त कर लिये गये थे। उक्त हरसहाय द्वारा सीमाज्ञान की फीस जरिये चालान जमा करवाने पर मेरे द्वारा सीमाज्ञान करने की कार्यवाही की जाती। मुझे यह जानकारी नही है कि उक्त हरसहाय वगैरा की भूमि की कितनी फीस जमा होनी थी और फीस इनके द्वारा जमा करवाई या नही इसकी जानकारी भी मुझे नही है। मैने इनसे कल दिनांक 23–6–2022 को कोई पैसों की मांग नही की थी। मैने इनको माह नवम्बर 2021 मे 50 हजार रूपये उधार दिये थे, वो पैसे मैने आज लिये है। मेरे पास पैसे उधार देने की कोई लिखा पढी नही है। कल ये मेरे पास अजबगढ आकर मिले थे। ये मेरे पास मिलने के लिये ही आये थे तब मैने इनसे कोई पैसे नही मांगे थे।

इस पर परिवादी श्री हरसहाय ने स्वतः ही बताया कि साहब ये पटवारी जी झूंठ बोल रहे है। इन्होने दिनांक 14–6–2022 को जब हमारा सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र भरा था। तब इन्होने मेरे से सीमाज्ञान की फीस की राशि जमा करवाने हेतु 11 हजार रूपये मांग कर लिये थे। हमारे द्वारा पैसे देने पर ही इन्होने हमारे आवेदन पत्र को लिया था और उस पर नायब तहसीलदार जी से सीमाज्ञान का आदेश प्राप्त किया था। उसके बाद इन्होने सीमाज्ञान करने की एवज मे हमसें 65,000 रूपये रिश्वत के मांग रहे थे। जिस पर मैने अपने भाई पन्ना लाल सहित दिनांक 23.06.2022 को आपके विभाग मे इस बाबत शिकायत पेश की थी। जिस पर आप द्वारा दिया गया टेप रिकॉर्डर लेकर मै मेरे भाई पन्नालाल सहित कल दिनांक 23–6–2022 को इनके पास बुलायेनुसार थानागाजी आया तो इन्होने हमे अजबगढ बुलाया। जिस पर हम अजबगढ गये तो इन्होमे अजबगढ ग्राम पंचायत मे जाकर मिले और इनसे सीमाज्ञान करवाने के बारे मे बातचीत की तो इन्होने सीमाज्ञान करने की एवज मे हमारे से 60 हजार रूपये रिश्वत के मांगे और कहां कि आप कल या परसो सुबह पैसे दे दोगे तो मै रविवार को आपकी जमीन का सीमाज्ञान करवा दूंगा। मैने कल दिनांक 23–6–2022 को हमारे एवं इन पटवारी जी के बीच जो –जो बाते हुई थी उनको अपने पास रखे हुए टेप मे रिकॉर्ड किया था। इनकी उक्त मांग के क्रम मे ही आज मैं 60 हजार रूपये के पाउडर लगे नोटो को लेकर इनके बतायेनुसार मै एवं मेरा भाई पन्ना लाल किशोरी गये। जहाँ से मैने अपने मोबाईल नं. 9024669472 से प्रकाश चन्द पटवारी के मोबाईल नं. 7339940948 पर फोन किया तो इन्होने मेरा फोन नही उठाया। फिर पटवारी जी के मोबाईल नं. 8503062692 से मेरे उक्त मोबाईल पर फोन आया और इन्होने मेरे से कहा कि आप पैसे लेकर ग्राम डेरा मे पुलिया पर आ जाओ, मै आपको पुलिया पर मिल जाऊंगा। इस पर मै आपके बतायेनुसार अपने भाई पन्ना को अपने साथ लेकर डेरा पुलिया पर पहुंचा तो वहां पर प्रकाश चन्द पटवारी मोटर साईकिल सहित मौजूद मिले। जहाँ पर पटवारी जी ने मेरे भाई पन्ना लाल को अपने साथ अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर तथा मुझे मेरी मोटरसाईकिल से साथ लेकर डूमेडा जाने वाले रोड पर रवाना हो गया तथा उक्त रोड पर आगे चलकर बिसूणी मोड पर अपनी मोटरसाईकिल को रोका और मुझे भी रोक लिया। जहां पर पटवारी जी व मैने मोटरसाईकिल खडी की तथा हम तीनो रोड पर साईड मे बैठ गये तब पटवारी जी ने रविवार को हमारी जमीन की पैमाईश करने के लिये कहते हुए मेरे से ईशारे मे पैसे मांगे। जिस पर मैने अपनी जेब मे रखे हुए 60 हजार रूपये के पाडडर लगे नोटो को निकालकर दिये तो पटवारी जी ने मेरे से 60,000/–रूपये रिश्वत के अपने हाथो से प्राप्त कर नोटो को बिना गिने ही अपने बैग की जेब मे रख लिये तब मैने पटवारी जी से कहा कि साहब पूरे 60 हजार ही लोगे क्या। इस पर पटवारी जी ने मेरे से लिये उक्त 60 हजार रूपये मे से 10 हजार मुझे वापस दे दिये तथा शेष 50 हजार रूपये रिश्वत के नोटो की एक गड्डी को अपने हाथ से अपने बैग की जेब मे रख लिये। इस पर मैने आपको ईशारा रिश्वत राशि देने का ईशारा कर दिया और आप लोग आ गये। मैने या मेरो भाईयो ने कभी भी पटवारी जी से कोई पैसे आज दिनांक तक उधार नही लिये है। ये पैसे इन्होने मेरे से पैमाईश करने की एवज मे ही मांग कर 50 हजार रूपये लिये है।

तत्पश्चात पुलिस थाने मे रखे हुए साफ पानी मे से एक बोतल मे पानी मंगवाया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे से कॉंच के दो साफ गिलासों को निकलवाकर उन्हे साफ पानी से धुलवाया। तत्पश्चात दोनो कांच के गिलासो में साफ पानी भरवाकर उनमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर सभी सम्बन्धितों को दिखाया गया, जिसे सभी ने देखकर उक्त गिलासों के घोल का रंग साफ होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के घोल में आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो दाहिने हाथ की अगुलियों के धोवन का रंग गैदमैला हुआ। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया। जिसे कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादगण एवं आरोपी प्रकाश चन्द के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सील चीट चस्पा कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात दुसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री प्रकाश चन्द के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो बांये हाथ की अंगुलियो के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितों को दिखाया गया। जिसे कॉच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया जाकर चिट चस्पाकर उन पर दोनों गवाहान व परिवादीगण एवं आरोपी श्री प्रकाश चन्द के हस्ताक्षर कराकर शीशीयों पर मार्क

L-1, L-2 अंकित कर सील चीट चस्पा कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी के बतायेनुसार उसके कब्जे के पीठू बैग की तीसरी जेब की तलाशी गवाह श्री दिलीप कुमार से लिवाई गई तो गवाह ने बताया कि उक्त जेब में मुडि हुई अवस्था में 500–500 रूपये के नोट रखे है। उक्त 500–500 रूपये के नोटो को निकलवाया जाकर गवाह श्री दिलीपकुमार से गिनवाया तो गवाह ने उक्त 500–500 रूपये के नोटो को गिनकर कुल 100 नोट राशि 50,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद शुदा नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। बरामद शुदा रिश्वत राशि 50 हजार रूपये के नोटों का विवरण फर्द मे अंकित करवाकर नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मुहर किया जाकर नत्थी किये गये कागज पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी के हस्ताक्षर कराकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात एक अन्य कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जाकर आरोपी के कब्जे का पीठू बैग बरंग नीला जिसकी तीसरी जेब मे से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस जेब मे रूई के फौवे को घुमाकर उक्त रूई के फौवे को सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के घोल मे डूबोकर धोवन लिया गया तो उक्त धोवन का रंग गुलाबी हो गया उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों पृथक–पृथक आधा–आधा डालकर शीशीयों पर सीलचिट चस्पा कर गवाहान व परिवादीगण एवं आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी के हस्ताक्षर कराकर धोवन की शीशीयों पर मार्क B-1, B-2 अंकित कर सील चिट चस्पा कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात उक्त बैग की अन्य जेबो की तलाशी गवाहान से लिवाई गई तो उसकी अन्य दोनो जेबो मे पटवार हल्का किशोरी एवं अजबगढ से संबंधित रिकॉर्ड पाया गया। उकत रिकॉर्ड मे परिवादीगण की भूमि की सीमाज्ञान से संबंधित प्रार्थना पत्र एवं उस पर सीमाज्ञान हेतु जारी किये गये आदेश अंकित होना पाया गया। जिसकी जब्ती एवं सुपुर्दगी पृथक से करने हेतु उक्त रिकॉर्ड को बैग से निकाला गया। उक्त बैग की तीसरी जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई है, पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त बैग को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मुहर किया गया तथा कपडे की थेली पर भी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "B" अंकित किया गया तथा बैग से घोवन लेने हेतु उपयोग लिये गये रूई के फौवे को सुखाकर उसे एक कपडे की थैली मे डालकर सील मुहर किया गया तथा कपडे की थेली पर भी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "R" अंकित किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री हरसहाय को आरोपी पटवारी प्रकाश चन्द द्वारा प्राप्त की गई 60 हजार रूपये की रिश्वत राशि मे से लौटाये गये 10 हजार रूपये पेश करने हेतु कहा तो उसने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10हजार रूपये निकाल कर पेश किये जिनको गवाहान को दिलवाकर गिनवाये गये तथा उनके नोटो के नम्बरो का मिलान दोनों गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। बरामद शुदा राशि 10 हजार रूपये के नोटों का विवरण फर्द मे अंकित कर बरामदशुदा नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मुहर किया जाकर नत्थी किये गये कागज पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी के हस्ताक्षर कराकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजुदगी में चालू कर सूना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देने के समय की वार्ता टेप होना पाई, जिसकी ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सीडी पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात परिवादीगण व आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी तथा कोई उधार का लेन–देन तो बकाया नही है, इस पर दोनों ने ही इन्कार किया।

आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी के कब्जे से बरामदशुदा परिवादीगण को सीमाज्ञान करवाने बाबत नायब तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिये गये आदेश एवं संलग्न दस्तावेजो की फोटो प्रति को तलबिदा उपस्थित आये श्री अनिरूद्व सिंह नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी थानागाजी से प्रमाणित करवाकर जरिये फर्द प्राप्त कर कब्जे लिया गया।

आरोपी श्री प्रकाश चन्द मीणा, पटवारी, हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टया कारीत होना पाये जाने पर हस्ब कायदा कानूनी प्रावद्यानों की पालना करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

तत्पश्चात बाद मौके की कार्यवाही दिनांक 25–6–2022 को समय 1.15 ए.एम. पर पुलिस थाना–थानागाजी से मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहान एवं परिवादीगण श्री हरसहाय, पन्नालाल, गिरफ्तारशुदा श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी, ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा आर्टिकल्स को ट्रेप बॉक्स मे सुरक्षित रखकर मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि राजकीय एवं प्राईवेट वाहनो के रवाना होकर गिरफ्तारशुदा श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी को बाद मेडिकल पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात मे रखवाकर समय 3.15 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी अलवर हाजीर आया। ट्रेप बॉक्स को कार्यालय मे सुरक्षित रखवाया एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

दिनांक 25–6–2022 को समय 3.30 ए.एम. पर दोनो गवाहान एवं परिवादीगण श्री हरसहाय एवं पन्ना लाल की मौजूदगी मे रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त परिवादीगण एवं आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी हल्का किशोरी के मध्य हुई वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार करवाई जाकर उन्हे मार्क "बी–1", "बी–2", एवं "बी–3" से चिन्हित की गई। जिनमे से मार्क शुदा सीडी "बी–1", "बी–2", को पृथक पृथक प्लास्टिक के कवर में सुरक्षित रखकर, कवर सहित सीडीयों को पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर भी मार्का "बी–1", "बी–2", अंकित किया जाकर सिलचिट चस्पा कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क शुदा सीडी बी–3 को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। रिकॉर्ड वार्तालाप मे परिवादीगण श्री हरसहाय एवं पन्ना लाल ने अपनी स्वंय एवं आरोपी श्री प्रकाश चन्द पटवारी की आवाज होने एवं उक्त वार्तालाप अपने स्वंय के द्वारा ब्यूरो के वॉइस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके लाने की ताईद की।

उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे रिश्वत माँग सत्यापन दिनांक 23–6–2022 को हुई वार्तालाप, फोल्डर नं.02 में रिश्वत लेन–देन के समय दिनांक 24–6–2022 को हुई वार्तालाप रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर संबंधितो परिवादी, उक्त दोनो गवाहान एवं मन् ट्रेप अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। उक्त ट्रैप कार्यवाही में प्रयोग में ली गई कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं. 34 का नमूना फर्द पर अंकित कर उसे बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू तुडवाकर नष्ट करवाई गई। जिसकी फर्द नष्टीकरण पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। बाद कार्यवाही पूर्ण कर परिवादी श्री हरसहाय, पन्ना लाल एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री दिलीप कुमार मीणा, श्री मधुर शर्मा को ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम अलवर से मसकन के लिये रवाना किया गया एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त शुदा रिश्वती राशि 50,000 रूपये, परिवादी द्वारा पेश की गई पाउडर लगी नम्बरी राशि 10,000 रूपये एवं सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स को कार्यालय में रखवाया गया।

अब तक सम्पन की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री प्रकाश चन्द मीणा, पटवारी, हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री हरसहाय वगैरा की ग्राम किशोरी मे स्थित क्रयशुद्धा खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान (पैमाईश) करने की एवज मे रिश्वत माँग सत्यापन दिनांक 23.6.2022 को परिवादीगण श्री हरसहाय व पन्नालाल से 60 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना तथा अपनी उक्त रिश्वत मांग के क्रम मे ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 24.06.2022 को उक्त आरोपी श्री प्रकाश चन्द मीणा पटवारी द्वारा परिवादीगण से 60 हजार रूपये रिश्वत के रूप मे प्राप्त कर उक्त राशि मे से परिवादी श्री हरसहाय को 10 हजार रूपये वापस देने एवं शेष 50 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपने बैग की जेब मे रखने एवं रिश्वत राशि बैग की जेब से बरामद होने से इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टया कारीत होना पाये जाने पर श्री प्रकाश चन्द मीणा, पटवारी, हल्का किशोरी को उक्त जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा कानूनी प्रावद्यानों की पालना करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

अतः आरोपी श्री प्रकाश चन्द मीणा पुत्र श्री कैलाश चन्द मीणा, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम अंगारी, तहसील एवं पुलिस थाना – थानागाजी, जिला अलवर हाल पटवारी, हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर –प्रथम, अलवर (राज.)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रकाश चन्द मीणा, पटवारी, पटवार हल्का किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 254/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2238-43 दिनांक 26.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

26.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर